सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022/271 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. धर्मा पुत्र नारणा
2. हेमा पुत्र नारणा
3. मगा पुत्र नारणा
4. भंवरा पुत्र जेरामा
5. तेजू पत्नी जेरामा
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. रावता पुत्र दामा
2. ओमाराम पुत्र कानाराम
3. ठाकराराम पुत्र कानाराम
4. नानगाराम पुत्र कानाराम
5. विमला पुत्री कानाराम
6. तगी पत्नी कानाराम
7. चम्पादेवी पुत्री हीरा
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी
8. शाखा प्रबंधक एसबीआई गुडामालानी
9. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुडामालानी

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 454/5.4875 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

फांटा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी संख्या 01 व 02 की माता व वादी संख्या 03 ता 05 की दादी कलुदेवी द्वारा जरीये पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.06.1985 को हरचंद पुत्र डालू से आराजी खसरा संख्या 454 में से हरचंद पुत्र डालू का हिस्सा क्रय की गई थी। खातेदार कलुदेवी के फौत होने पर कलुदेवी की विरासत धर्मा पुत्र नारणा, हेमा पुत्र नारणा एवं जैरामा पुत्र नारणा के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादग्रस्त आराजी के मूल खसरा संख्या 454/43.18 बीघा में हरचंद पुत्र डालू का 1/2 हिस्सा तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों का 1/2 हिस्सा सामलाती था। जिसमें से हरचंद पुत्र डालू ने जरीये पंजीकृत बयनामा प्रथम बेचान दिनांक 15.02.1971 को 10 बीघा अर्थात कुल रकबे का 100/439 वां हिस्सा का कर दिया। उक्त बेचान निर्वविवादित है। इसी अनुसार द्वितीय बेचान जरीये पंजीकृत बयनामा दिनांक 04.06.1985 को वादी संख्या 01 व 02 की माता व वादी संख्या 03 ता 05 की दादी कलुदेवी पत्नी नारणा को अपना सम्पूर्ण हिस्सा 11.19 बीघा अर्थात्त 239/678 वां हिस्सा का बेचान कर दिया। कलू पत्नी नारणा की फौतगी पर वादीगण पुश्तैनी हिस्सा अनुसार उक्त आराजी पर काबिज काश्त हुए। वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता द्वारा विरासत में तथा माता कलूदेवी से कुल 963/1695 वां हिस्स तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का 366/1695 तथा 366/1695 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 07 का संयुक्त खातेदारी के आये हुए हैं। इसी अनुसार वादी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज हैं तथा खाता संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण द्वारा अपना हिस्सा पृथक करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर वादीगण को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि वादीगण का मिलाकर 1/3 हिस्सा दर्ज है। जो गलत है। प्रतिवादीगण सहखातेदार होने एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने की आड़ में वादीगण की पैतृक कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप कर रहे हैं तथा वादीगण के हिस्से की भूमि का बैचान कर अजनबी व्यक्तियों को कब्जा करवाने पर आमादा है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी का मुताबिक पैतृक हिस्सा एवं पंजकृत बयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के साथ वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर हिस्सा 963/1685 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 127 संवत 2071—74	प्रदर्श—01
नक्शा	खसरा संख्या 454 खाता संख्या 127	प्रदर्श—02
खतौनी	प्रथम सम्वंत 2012—2031	प्रदर्श—03
पंजीकृत	दिनांक 15.02.1971	प्रदर्श—04

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

बयनामा		
लिखित	वादीगण को हरचंद द्वारा गै.मु. ढाणी का कब्जा सुपुर्द	प्रदर्श—05
पंजीकृत बयनामा	दिनांक 04.06.1985	प्रदर्श—06

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी
धर्मा पुत्र नारणाराम	जाट	रामजी का गोल फांटा
भगवानाराम पुत्र उदाराम	जाट	रामजी का गोल फांटा
भंवरलाल पुत्र जैरामा	जाट	रामजी का गोल

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी का मुताबिक पैतृक हिस्सा एवं पंजकृत बयनामा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के साथ वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर हिस्सा 963/1685 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैंः—
    1. मुताबिक पैतृक आराजी एवं पंजीकृत बयनामा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 963/1695 हिस्सा घोषित करने के साथ वादीगण का खाता अलग खातेदार घोषित किया जावे।
    2. वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार हैः—

    1. मुताबिक पैतृक आराजी एवं पंजीकृत बयनामा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 963/1695 हिस्सा घोषित करने के साथ वादीगण का खाता अलग खातेदार घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में प्रथम अनुतोष खातेदारी आराजी में मुताबिक पंजीबद्ध बयनामा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में प्रथम बयनामा दिनांक 15.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

02.1971 को मुतनाजा आराजी के खातेदार हरचंद पुत्र डालु ने करवाया। उक्त बयनामा दिनांक 15.02.1971 से खरीद की गई आराजी को लेकर प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तत्पश्चात प्रकरण में मुतनाजा आराजी के खातेदार हरचंद पुत्र डालु ने दिनांक 04.06.1985 को अपना संपूर्ण हिस्सा रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा कलु पत्नी नारायण को बेचान कर दिया। तत्पश्चात कलु पत्नी नारायण की मृत्यु के पश्चात खरीदसुदा आराजी विरासत में वादीगण को प्राप्त होनी थी। परंतु उक्त बयनामा के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं कर हिस्से गलत दर्ज कर दिए। इस कारण वादीगण के हिस्से में खरीदसुदा आराजी से कम खातेदारी आराजी दर्ज रिकॉर्ड है।

8. प्रकरण में बयनामा दिनांक 04.06.1985 के खरीद पश्चात मुतनाजा आराजी में हुए खातेदारों के हिस्सा परिवर्तन का विवाद निहित है। प्रकरण में कुल मुतनाजा आराजी 43 बीघा 18 बिस्वा थी। उक्त कुल आराजी में से प्रथम बयनामा दिनांक 15.02.1971 को मुतनाजा आराजी के खातेदार हरचंद पुत्र डालु ने करवाया। उक्त बयनामा दिनांक 15.02.1971 से खरीद की गई आराजी को लेकर प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तत्पश्चात प्रकरण में मुतनाजा आराजी के खातेदार हरचंद पुत्र डालु ने दिनांक 04.06.1985 को अपना संपूर्ण हिस्सा रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा कलु पत्नी नारायण को बेचान कर दिया। प्रकरण में कुल मुतनाजा आराजी में नवला पुत्र शेरा का 1/2 अर्थात 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि निहित थी। प्रकरण में पक्षकारों के वर्तमान हक हिस्से की आराजी तथा नवला पुत्र शेरा की विरासत तथा कलु पत्नी नारायण की विरासत के पश्चात अपेक्षित हक हिस्से की आराजी का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	कानूनन हिस्सा	वर्तमान हिस्सा अनुसार रकबा	बयनामा दिनांक 04.06.1985 की खरीद का रकबा	पैतृक हिस्सा अनुसार रकबा	नियमानुसार अपेक्षित हिस्सा
1	2	3	4	5	6
काना पुत्र दमा	1/6	0.9146 है0	—	0.5922 है0	**5922/54875**
रावता पुत्र दमा	1/6	0.9146 है0	—	0.5922 है0	**5922/54875**
चम्पा पुत्री हीरा	1/3	1.8292 है0	—	1.1843 है0	**11843/54875**
धर्मा पुत्र नारणा	1/9	0.6092 है0	0.6448 है0	0.3948 है0	**10396/54875**
हेमा पुत्र नारणा	1/9	0.6092 है0	0.6448 है0	0.3948 है0	**10396/54875**
जेरामा पुत्र नारणा	1/9	0.6093 है0	0.6448 है0	0.3948 है0	**10396/54875**

9. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की पैतृक व खरीदसुदा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 454/5.4875 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादी की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू—भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 454/5.4875 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी में मुताबिक पैरा संख्या 08 में सारणी के स्तम्भ 06 में अंकित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त आराजी में उक्त हिस्से का संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 17.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2022 / 271 दर्ज तिथिः—22.08.2022

1. धर्मा पुत्र नारणा
2. हेमा पुत्र नारणा
3. मगा पुत्र नारणा
4. भंवरा पुत्र जेरामा
5. तेजू पत्नी जेरामा
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी

.....वादी

बनाम

1. रावता पुत्र दामा
2. ओमाराम पुत्र कानाराम
3. ठाकराराम पुत्र कानाराम
4. नानगाराम पुत्र कानाराम
5. विमला पुत्री कानाराम
6. तगी पत्नी कानाराम
7. चम्पादेवी पुत्री हीरा
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी
8. शाखा प्रबंधक एसबीआई गुडामालानी
9. उपपंजीयक एवं तहसीलदार गुडामालानी

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested

454/5.4875 है0 वाके ग्राम रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी में मुताबिक पैरा संख्या 08 में सारणी के स्तम्भ 06 में अंकित हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। वादी को उक्त आराजी में उक्त हिस्से का संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.04 07:52:53 IST
Reason: SelfAttested